हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
24/5/19	तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम लोठियाना के खाता संख्या 50 सेग्रीगेशन जमाबन्दी में अपवादित खाते में आ रहा है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 50 में श्री लालू पिता रूपा 1/12 दर्ज जो कि नामान्तरण संख्या 1217 से लालू की विरासत से दर्ज हुई, उसमें लालू के बजाय नगजीराम, गीताबाई, पुष्पाबाई पिता लालू देऊबाई बेवा लालू 1/12 दर्ज हुआ जो सही है, परन्तु नामान्तरण संख्या 1283 से हक त्याग हुआ जिसमें नगजीराम, गीताबाई, पुष्पाबाई पिता लालू देऊबाई बेवा लालू 1/12 के बजाय नगजीराम पिता लालू 3/12 व देऊबाई बेवा लालू 1/12 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ, जिसका अमल जमाबन्दी में हो रहा है, जो गलत है जबकि नगजीराम पिता लालू 1/16 व देऊबाई बेवा लालू 1/48 हिस्सा दर्ज होना था । नामान्तरण संख्या 1283 गलत दर्ज हुआ है ग्राम लोठियाना की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 नामान्तरण संख्या 1283 की सही फोटो प्रति प्रेषित कर, राजस्व रेकार्ड में सही अंकन करने की अनुशंषा तहसीलदार डूंगला द्वारा कर खातें में दुरुस्ती की अनुमति चाही गई। तहसीदार डूंगला प्रेषित प्रस्ताव, अभिशंषा व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण प्रस्ताव राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् निस्तारण हेतु सही पाया गया है। अतः ग्राम लोठियाना के नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वर्णित खाता संख्या 50 में नगजीराम पिता लालू 3/12 व देऊबाई बेवा लालू 1/12 के बजाय नगजीराम पिता लालू 1/16 व देऊबाई बेवा लालू 1/48 हिस्सा दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावें। इसी आशय का आदेश पृथक से जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार धेअर नम्बर से दर्ज हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	